संख्या-129 /2024/2353/001-27-10002(002)/12/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 **लखनऊ : दिनांक- 12 सितम्बर, 2024**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 ''राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' मद के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की 15 परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1620/03-72एफ.एल./रामपुर 34 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-1491/03-72एफ.एच./जौनपुर 50 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-1493/03-72एफ.डी./वाराणसी 50 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1463/03-72एफ.एम./बागपत 60 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-1743/03-72एफ.आई./प्रयागराज 25 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-1648/03-72एफ.जी./वाराणसी 38 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1637/03-72ई.जेड./जौनपुर 50 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1744/03-72एफ.एफ./आजमगढ़ 40 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1742/03-72एफ.सी./मऊ एवं बलिया 38 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1745/03-72एफ.बी./भदोही 45 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1747/03-72एफ.के./गाजीपुर 22 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-1746/03-72एफ.जे./गाजीपुर 24 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-3082/03-72एफ.ई./प्रयागराज 42 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-1740/03-72एफ.ए./मीरजापुर 49 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 29.08.2024 एवं पत्रांक-2082/03-72एफ.एन./बुलन्दशहर 60 राजकीय नलकूप आधु0, दिनांक 02.09.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार विभिन्न जनपदों में राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की पृथक-पृथक 15 परियोजनाओं की लागत (कॉलम-3 में अंकित धनराशि) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 ''राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख में से कॉलम-4 में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि **रू0 13,42,02,000/- (रूपये तेरह करोड़ बयालीस लाख दो हजार मात्र)** व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत	निर्गत/व्यय हेतु प्रथम किश्त की धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
1	जनपद रामपुर के विकासखण्ड शाहाबाद में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 34 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार तथा पम्प सेटों व उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	99.42	84.50
2	नलकूप खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर में 50 अदद् राजकीय नलकूपों के पक्की गूलों के आधुनिकीकरण की परियोजना	214.88	107.44
3	नलकूप खण्ड-I, वाराणसी के अन्तर्गत 50 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	197.28	98.64
4	नलकूप खण्ड(पश्चिम), बागपत के अन्तर्गत 60 अदद् राजकीय नलकूपों (1.0 एवं 1.5 क्यूसेक क्षमता) के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार तथा पम्प सेटों व विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	187.32	93.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	नलकूप खण्ड-तृतीय, प्रयागराज के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 25 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	99.23	84.34
6	नलकूप खण्ड-प्रथम, वाराणसी के अन्तर्गत 38 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	146.95	73.48
7	नलकूप खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर में 50 अदद् राजकीय नलकूपों के पाइप लाइन के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण व उपकरणों के प्रतिस्थापना की परियोजना	172.74	86.37
8	नलकूप खण्ड, आजमगढ़ के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 40 अदद् राजकीय नलकूपों के गूलों के जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार के आधुनिकीकरण की परियोजना	192.83	96.41
9	नलकूप खण्ड, मऊ के अन्तर्गत जनपद मऊ एवं बलिया के 38 अदद् राजकीय नलकूपों के पक्की गूलों के आधुनिकीकरण की परियोजना	183.53	91.76
10	जनपद-भदोही में 45अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	177.07	88.53
11	नलकूप प्रखण्ड-द्वितीय, गाजीपुर के अन्तर्गत विकासखण्ड–करण्डा एवं देवकली में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 22 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	88.71	75.40
12	नलकूप खण्ड-द्वितीय, गाजीपुर के अन्तर्गत चतुर्थ उपखण्ड के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 24 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	96.84	82.31
13	नलकूप खण्ड-तृतीय, प्रयागराज के अन्तर्गत 1.0/1.5 क्यूसेक क्षमता के 42 अदद् राजकीय नलकूपों के पाइप लाइन के आधुनिकीकरण की परियोजना	98.29	83.55
14	नलकूप खण्ड, मीरजापुर के अन्तर्गत 49 अदद् राजकीय नलकूपों के पक्की गूलों के आधुनिकीकरण की परियोजना	191.27	95.63
15	नलकूप खण्ड(उत्तर), बुलन्दशहर के अन्तर्गत 60 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	222.61	100.00
		कुल योग	**1342.02**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-4 व 5 यथासंशोधित के अनुसार प्रायोजना का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण सक्षम स्तर से करा लिया गया है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय किया जाय तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाय।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस- 2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19.06.2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,42,02,000 (रुपये तेरह करोड़ बयालीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020317 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-129 /2024/2353(1)/001-27-10002(002)/12/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, **द्वारा-** प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।